

205 लीटर अवैध निर्मित नकली शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

Amethi Tarunmitra May 11, 2020- 1:33 PM



Yogendra Srivastava

शुकुल बाजार, अमेठी । शुकुल बाजार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बताते चलें पुलिस अधीक्षक अमेठी डॉ ख्याति गर्ग के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना संतोष सिंह व थाना अध्यक्ष शुकुल बाजार संतोष सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक अभिनेष कुमार उप निरीक्षक रामप्रकाश सिंह मय हमराही टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पूरे जगई पांडे नहर के पास से अभियुक्त सौरभ पांडे पुत्र उमंग पांडे निवासी पुरे जगई पांडे थाना शुकुल बाजार जनपद अमेठी को 205 लीटर अवैध निर्मित नकली शराब मय शराब पैकिंग व शराब निर्माण के केमिकल के साथ गिरफ्तार किया ।

अभियुक्तगण संतोष मिश्रा पुत्र रामफेर ग्राम ऊंचगांव थाना शुकुल बाजार मुन्ना शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी निसोरा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या व दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात मौके से फरार हो गए। वही मौके से तीन ड्रम दो जरीकेन में लगभग 205 लीटर अवैध निर्मित नकली शराब व पीले कलर की छोटी 6शीशी काले कलर की 8 शीशी लिक्विड भरा हुआ दो डिब्बा प्लास्टिक छोटा बड़ा जिसमें कलर ऑरेंज एक छन्ना प्लास्टिक सफेद 3 बंडल ढक्कन जिस पर सीलटैप क्यू आर कोड 36 प्लास्टिक की खाली शीशी 200ml एक बोरी प्लास्टिक की बोरी में लगभग 10000 ढक्कन व एक बोरी में 650 लाल हरे रंग के खाली ढक्कन एक बंडल मेरे पर 10000 तथा एक बंडल मे रैपर 3600 अलग-अलग किस्म के एक अदद मोटरसाइकिल पल्सर गाड़ी संख्या यू के 08 एम 8293 बरामद की गई पुलिस ने सारा सामान हिरासत में ले लिया । वहीं क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना ने कहा विधि कानूनी कार्रवाई की जा रही है बताते चलें यह शुकुल बाजार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी है थाना अध्यक्ष शुकुल बाजार संतोष सिंह ने कहा क्षेत्र में अवैध और कच्ची शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है जहां यह कच्ची अवैध शराब गैरकानूनी है वही जानलेवा भी है दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://tarunmitra.in/archives/271229/accused-arrested-with-205-liter-illegal-manufactured-spurious-liquor>